मध्यान्ह भोजन योजना की आवश्यकता एवं शुरूआत

तमिलनाडु पहला भारतीय राज्य है जिसने प्राथमिक स्कूलों में सार्वभौमिक मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया। 1923 में मद्रास में यह पथप्रदर्शक योजना पेश की गई। बाद में, 1960 में जब कामराज मुख्यमंत्री थे व्यापक स्तर पर मध्यान्ह भोजन के प्रावधान किए गए। 1982 में मुख्यमंत्री एम.जी. रामचन्द्रन (एम.जी.आर.) ने सभी प्राथमिक स्कूलों में मध्यान्ह भोजन का विस्तार किया। ऐसा बताया जाता है कि एक छोटे बच्चे से मिलने के बाद कामराज को मध्यान्ह भोजन की योजना का विचार आया। यह बच्चा गाय–भैसों की देखभाल करता था जब मुख्यमंत्री कामराज ने उस बच्चे से पूछा कि तुम आज स्कूल क्यों नहीं गए तो बच्चे ने जवाब दिया कि यदि मैं स्कूल जाऊं तो क्या तुम खाना दोगे? मैं तभी खा सकता हूँ जब कमाऊं। बच्चे के इस जवाब ने मध्यान्ह भोजन के विचार में जान डाल दी। एम.जी. रामचन्द्रन ने स्वयं भी बचपन में भूख झेली थी, अतः बच्चों को भूख से बचाना उनका निजी मिशन बना।

शुरूआत में एम.जी.आर. के इस साहसिक कदम को विरोध का सामना करना पड़ा। कई विधायकों, सरकारी अधिकारियों और पत्रकारों ने इस योजना को खारिज करते हुए कहा कि यह जनता के पैसे की बर्बादी है। फिर भी बाद में मध्यान्ह भोजन की यह योजना काफी लोकप्रिय बन गई और समय के साथ लोगों में इस योजना की स्वीकार्यता बढ़ती गई।

(स्त्रोतः अनीता प्रताप ''स्ट्राइक अगेन्स्ट हंगर'' आऊटलुक 18 अगस्त, 03)

लक्ष्य

- कक्षा 1 से 8 तक सरकारी प्राथमिक शालाओं, सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षा गांरटी एवं वैकल्पिक शालाओं में बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना।
- अभिवंचित समूह के बच्चों को नियमित शाला में लाना एवं कक्षा की गतिविधियों में उनका ध्यान केंद्रित करना।
- ग्रीष्म अवकाश में सूखा ग्रस्त इलाकों में प्रायमरी स्कूलों के बच्चों को पोषाहार सहयोग प्रदान करना।

मध्यान्ह भोजन योजना अक्टूबर 2007 से प्राथमिक तथा मिडिल दोनों स्कूल में लागू

बहुलक्षीय योजना–मध्यान्ह भोजन योजना

केंद्र सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 में मध्यान्ह भोजन योजना पूरे देश में लागू की गई। जिसमें केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त अनाज प्रदाय तथा राज्य सरकारों द्वारा भोजन पकाने का व्यय जुटाया जाना तय किया गया था। प्राथमिक शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (NP-NSPE) के अंर्तगत सरकारी, सरकारी स्कूल, सरकारी अनुदान प्राप्त 2408 विकासखंडों में संचालित कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों में शुरू की गई। वर्ष 1997–98 में योजना को देश के सभी विकासखंडों में लागू किया गया। वर्ष 2002 में योजना का विस्तार कर, स्थानीय निकायों के स्कूल, शिक्षा गांरटी व वैकल्पिक नवाचारी शिक्षा योजना के अंर्तगत संचालित स्कूलों में भी प्रत्येक बच्चे को दोपहर के समय पका हुआ मुफ्त भोजन प्रदाय किया जाना निश्चित किया गया। यह कार्यक्रम आमतौर से मध्यान्ह भोजन योजना के नाम से प्रचलित है। केंद्र पोषित इस योजना में केंद्र सरकार द्वारा प्रति बच्चा 100 ग्राम अनाज, 50 पैसे प्रति क्विंटल खाद्यान्न परिवहन हेतु अनुदान दिया जाना प्रावधानित किया गया।

कुछ राज्यों में, जैसे तमिलनाडु और गुजरात में पका हुआ मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया जा रहा था। अन्य राज्यों में सूखा राशन (अमूमन 3 किलो अनाज प्रति बालक, प्रति माह) उपलब्ध करवाने की व्यवस्था थी। यह अनाज 1995 में प्रारंभ किए गए राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा संबल कार्यक्रम के तहत उपलब्ध करवाया जा रहा था। इस कार्यक्रम में भी यह प्रावधान था कि राज्य सरकारें क्रमशः पका हुआ मध्यान्ह भोजन उपलब्ध

करवाएंगी, परन्तु अधिकांश राज्य राशन उपलब्ध करवाने से आगे तब तक नहीं बढ़े जब तक सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप कर ऐसा करने का आदेश नहीं दिया।

भोजन व शिक्षा का अधिकार

1998–99 के राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार देश के लगभग आधे बच्चे कुपोषित हैं। भूख और कुपोषण बच्चों के स्वास्थ्य को बर्बाद करता है, उनकी सीखने की क्षमता पर असर डालता है और उनकी जिन्दगी को कई तरह से नुकसान पहुँचाता है। ऐसे देश कम ही हैं जहाँ इतनी संख्या में बच्चे कुपोषित हों। शिक्षा के आँकड़े भी कम चौंकाने वाले नहीं हैं। भारत के कम से कम 20 प्रतिशत (6–14 वर्ष समूह के) बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। यह भी उनके भविष्य को कई तरह से नुकसान पहुंचाता है। बालश्रमिक इसके मुख्य शिकार हैं। यह स्थिति बच्चों के बुनियादी अधिकारों का सरासर उल्लंघन है। हमारे संविधान का 21वें अनुच्छेद कहता है कि सभी भारतीय बच्चों को जीवन का बुनियादी अधिकार है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कई बार यह साफ किया है कि जीवन के अधिकार का मतलब है सम्मान से जीवन जीने का अधिकार, जिसमें भोजन और संबंधित दूसरी जरूरतें शामिल हैं। संविधान के अनुच्छेद 21(अ) के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी भारतीय बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का हक़ है। ये अधिकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन 'कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड' में भी रेखांकित किए गए हैं, जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं।

वर्ष 2001 तक इस योजना क्रियान्वयन के अनुभव बताते है कि कई राज्य व संघ शासित प्रदेशों ने बच्चों को पका भोजन वितरित करने के बजाय पालकों को सूखा राशन बांटा जिसके पीछे तर्क दिया जाता रहा कि राज्य सरकारों को लाखों बच्चों के लिए भोजन पकाने हेतु आवश्यक राशि जुटाना संभव नही हो पा रहा है।

माननीय सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश

अप्रैल 2001 में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पी.यू.सी.एल.) नामक एक मानवाधिकार संगठन ने भोजन के अधिकार संबंधी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में लगाई। उन दिनों भारतीय खाद्य निगम(फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) के गोदाम अनाज से अटे पड़े थे। अनाज की इतनी बोरियां थीं कि अगर उन्हें एक पर एक रखा जाता तो उनकी ऊंचाई चाँद से भी अधिक दूरी तक जाती। इधर, देश भर के लाखों लोग भूख और कुपोषण झेल रहे हैं। पी.यू.सी.एल ने अपनी याचिका में कहा की गोदामों में भरे इस अनाज को काम के बदले अनाज, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और स्कूलों में मध्यान्ह भोजन जैसे कार्यक्रमों में काम लेना चाहिए ताकि आमजनता को भूखमरी से बचाया जा सके। पी. यू. सी. एल. की इस याचिका ने सर्वोच्च अदालत में भोजन के अधिकार विषय पर एक व्यापक जनहित याचिका को जन्म दिया, जो 'पी.यू.सी.एल.' बनाम 'भारतीय संघ व अन्य' जनहित याचिका दीवानी (वर्ष 2001, संख्या 196) के नाम से जानी जाती है।

8 मई 2002 के अपने आदेश द्वारा सर्वोच्च न्यायाल

य ने 'आयुक्तों' की नियुक्ति की जो
की नियुक्ति की जो भोजन के अधिकार से संबंधित सभी आदेशों के क्रियान्वयन का प्रबोधन करेंगे। आयुक्तों को अदालत की संपूर्ण सत्ता के साथ आदेशों के उल्लंघन की जांच तथा उनके समाधान की मांग करने की शक्तियां भी दी गई है। सभी आयुक्त एक
निश्चित अंतराल पर सर्वोच्च न्यायालय को अपनी रिपोर्ट देते हैं। इन रिपोर्टों द्वारा सर्वोच्च न्यायलय आदेशों के क्रियान्वयन पर पूरी नजर रखता है और जरूरत पड़ने पर नए आदेश भी जारी करता है।

यह मामला पी.यू.सी.एल. ने भूखे बच्चों सहित सभी वंचितों की ओर से भोजन के अधिकार के संदर्भ में दायर किया था। यह मामला आज तक सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है और अदालत ने इस बीच 28 नवम्बर 2001 को व्यापक अंतरिम आदेश जारी किए थे। इन आदेशों में एक आदेश राज्य सरकारों को भी दिया गया था वे प्राथमिक शालाओं में पका हुआ मध्यान्ह भोजन उपलब्ध करवाएं। लेकिन धन के अपर्याप्त आंवटन के कारण योजना क्रियान्वयन में अधिक सुधार नजर नही आया।

दिसम्बर 2003 में राज्यों की बेबसी के मद्देनजर राष्ट्रीय योजना आयोग ने प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के लिए दी जाने वाली राशि में 15 प्रतिशत अतिरिक्त राशि का आवंटन मध्यान्ह भोजन पकाने संबधित व्यय हेतु कर दिया जिससे सभी राज्य व केंद्र शासित संघ गणराज्यों में बच्चों को दोपहर के समय पका हुआ भोजन उपलबध कराने में कठिनाई न हो एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन भी हो। केंद्र सरकार ने भोजन पकाने के व्यय की पूर्ति के लिए अपना अंशदान अवश्य बढा दिया किंतु फिर भी सभी राज्यों में बच्चों को पका–भोजन वितरण शुरू नही हो सका था एवं योजना अपना यथेष्ट उद्देश्य पूरा कर पाने में असफल साबित होने लगी।

दिसम्बर 2004 में मध्यान्ह भोजन योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किये गये एवं योजना का परिवर्तित रूप लागू किया गया। मध्यान्ह भोजन योजना में लाये गये मुख्य परिवर्तन निम्नलिखित थे–

मध्याह्न भोजन के लिए केंद्रीय सहायता (दिसंबर 2004)

मद	केंद्रीय सहायता (रु./प्रति बालक/ प्रति स्कूल दिवस)
खाद्यान्न का औसत व्यय (100 ग्राम, प्रति बालक प्रतिदिन)	1.11
औसत परिवहन, परिदान (सब्सिडी)	0.08
(भारतीय खाद्य निगम के निकटतम गोदाम से प्राथमिक शाला तक	
रु. 75 प्रति क्विंटल की दर से।)	
भोजन पकाने पर आने वाले व्यय में सहायता*	रु. 1.00
प्रबंधन, निरीक्षण तथा मूल्यांकन के लिए सहायता	0.02
कुल	**2.21**

(**स्रोत :** मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिशानिर्देश, दिसंबर, 2004 उपरोक्त सहायता के साथ केन्द्र सरकार को सूखाग्रस्त इलाकों में गर्मी की छुट्टियों के दौरान मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाने पर होने वाले ख़र्च का भी प्रावधान करना होगा।)

- सरकारी, सरकारी स्कूल, सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूल, स्थानीय निकायों द्वारा संचालित स्कूल, शिक्षा गांरटी व वैकल्पिक नवाचारी शिक्षा योजना के अंर्तगत संचालित स्कूलों में कक्षा 1 से 5 के प्रत्येक बच्चे को 300 कैलोरी एवं 8–12 ग्राम प्रोटीनयुक्त पका हुआ भोजन प्रदाय किया जायेगा।
- केंद्र सरकार मुफ्त अनाज प्रदाय के साथ–साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सहयोग करेगी–
  1. भोजन पकाने के लिए प्रति बच्चा, प्रति स्कूल दिवस 1 रूपये की राशि
  2. पूर्व में दिये जा रहे परिवहन सहायता की राशि 50 रूपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर विशेष दर्जा हासिल राज्यों में 100 एवं अन्य राज्यों में 75 रूपये प्रति क्विंटल देगी
  3. अनाज कीमत, परिवहन अनुदान और भोजन पकाने की हेतु सहायता राशि का
  4. योजना पर कुल व्यय का 2 प्रतिशत योजना के प्रबंध, निगरानी एवं मूल्यांकन पर खर्च की जायेगी
  5. ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों को मध्यान्ह भोजन का वितरण जारी रखा जायेगा।

वर्ष 2004 में संशोधित एवं लागू मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन के बाद भोजन की गुणवत्ता पर फिर से सवाल उठना शुरू हो गये एवं एक बार फिर स्थापित हुआ कि मध्यान्ह भोजन योजना में परोसा जा रहा भोजन प्राथमिक शाला के बच्चों के पोषण में सुधार करने में समर्थ नही है।

प्राथमिक शालाओं में दर्ज, प्रति बच्चा 100 ग्राम अनाज पकाकर दिये जाने वाला भोजन		
पोषक तत्व	NP-NSPE, 2004 मापदंड	NP-NSPE, 2006 मापदंड
कैलोरी	300	450
प्रोटीन	8–12	12
सूक्ष्म पोषक तत्व	कोई प्रस्ताव नही था	आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन 'ए' इत्यादि

योजना के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जून 2006 में एक बार फिर से योजना के मापदंडों में बदलाव किया गया एवं मध्यान्ह भोजन योजना को परिवर्तित रूप में लागू किया गया।
अब केंद्र पोषित इस योजना में मध्यान्ह भोजन पकाने के लिए केंद्र द्वारा प्रति बच्चा 1 रूपये 50 पैसे (बशर्ते कि राज्य 20 पैसे

अंशदान करे) सहायता किया जाना मंजूर किया गया।

अक्टूबर 2007 में योजना का एक बार पुनः विस्तार किया गया जिसके अंतर्गत देश में शैक्षिक रूप से पिछड़े 3479 विकाखंडों में कक्षा 6 से 8 में दर्ज बच्चों (लगभग 1.17 करोड़) पर प्रति बच्चा न्यूनतम 750 कैलोरी एवं 20 ग्राम प्रोटीन युक्त 150 ग्राम खाद्यान्न का भोजन पकाकर वितरित किया जाना निश्चित किया गया। वर्ष 2008–09 के अंत तक देश के सभी मिडिल स्कूलों में मध्यान्ह भोजन योजना को लागू किये जाने की अपेक्षा की गई।

शिक्षा उपकर राशि का अधिकांश उपयोग मध्यान्ह खाद्यान्न परिवहन एवं भोजन पकाने पर व्यय किया जाता है।

वर्ष 2008 में मध्यान्ह भोजन पकाने के लिए केंद्र द्वारा यह राशि बढ़ाकर प्राथमिक शाला के लिए 2.16 रूपया तथा मिडिल के लिए 2.30 रूपया कर दी गई।

प्रति रसोई घर के निर्माण हेतु रूपये 60000 एवं रसोई उपकरणों की खरीद के लिए रूपये 5000 व्यय किये जाने का प्रावधान बनाया गया। रसोई कक्षों का निर्माण आरंभ हो गया एवं रसोई का काम महिला स्वसहायता समूहों को सौंपा जाने लगा। यह भी कोशिश हुई कि भोजन पकाने का काम दलित महिला को सौंपा जाएं।

सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख आदेशों का सार–संक्षेप

मध्यान्ह भोजन के विषय में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 28 नवंबर 2001 के ऐतिहासिक आदेश के बाद भी सर्वोच्च न्यायालय समय–समय पर मध्यान्ह भोजन के विषय पर अंतरिम आदेश जारी करता रहा है। बुनियादी हक़दारी : प्रत्येक सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूल में आने वाले बालक–बालिका को स्कूल में हर दिन पका हुआ मध्यान्ह भोजन दिया जाना चाहिए : भोजन में कम से कम 300 कैलोरी होनी चाहिए और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन भी प्रतिदिन शामिल किया जाना चाहिए। यह वर्ष में कम से कम 200 दिन अवश्य उपलब्ध करवाना चाहिए।(28 नवंबर 2001 का आदेश)

निःशुल्क : भोजन पकाने पर होने वाला व्यय किसी भी सरूत में बच्चों या उनके माता–पिता से नहीं वसूला जाना चाहिए।(20 अप्रैल, 2004 का आदेश)

केंद्रीय सहायता : खाद्यान्न को पका कर भोजन बनाने में आने वाले खर्च के लिए केन्द्र सरकार वित्त आवंटित करें।(20 अप्रैल, 2004 का आदेश)

रसोइे घर : केंद्र सरकार रसोई –घर बनाने के लिए प्रावधान करें।(20 अप्रैल 2004 का आदेश)
दलित वर्ग से रसोइेयों को प्राथमिकता : भोजन पकाने व पकाने में सहायता करने वाले लोगों की नियुक्ति करते समय दलित वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्राथमिकता दी जाए।(20 अप्रैल 2004 का आदेश)

गुण्णवत्ता संबंधी सावधनियां : बेहतर व्यवस्थाए करने की, बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाने की (जैसे सुरक्षित पेयजल आदि) कोशिश की जाए, कार्यक्रम की कड़ी देखरेख हो (नियमित निरीक्षण आदि) तथा गुणवत्ता संबंधी अन्य सावधानियां बरती जाएं, साथ ही भोजन में जो कुछ पकाया जा रहा है उसे भी सुधरने की चेष्टा हो ताकि प्राथमिक शालाओं के बच्चों को पौष्टिक भोजन दिया जा सके।(20 अप्रैल 2004 का आदेश)

गर्मी की छुट्टियाँ : सूखा पीड़ित क्षेत्रों में ग्रीष्मावकाश के दौरान भी मध्यान्ह भोजन उपलब्ध करवाया जाए।(20 अप्रैल, 2004 का आदेश)

गुणवत्ता का साझा निरीक्षण : हम भारतीय सघं तथा भारतीय खाद्य निगम को निर्देशित करते हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि इस योजना के लिए औसत गुणवत्ता का अनाज समयानुसार उपलब्ध करवाया जाए। सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों तथा भारतीय खाद्य निगम को निर्देशित किया जाता है कि वे खाद्यान्नों का साझा निरीक्षण करें। अगर निरीक्षण के दौरान यह पाया जाए कि खाद्यान्न सही औसत दर्जे का नहीं है, तो भारतीय खाद्य निगम उसे वितरण के पहले ही बदले। (28 मई, 2001 का आदेश)

मध्यप्रदेश में मध्यान्ह भोजन

वर्ष 2004–05 के आरंभ तक मध्यप्रदेश में पके भोजन के नाम पर प्राथमिक स्कूलों में दर्ज बच्चों को अधपका दलिया या खिचड़ी परोसने की व्यवस्था काम कर रही थी। वर्ष 2004 में मध्यप्रदेश सरकार ने अधपके एवं स्वादहीन दलिया के कारण बच्चों में मध्यान्ह भोजन के प्रति बढ़ती अरूचि को महसूस किया एवं सभी स्कूलों में दाल–चांवल, रोटी–सब्जी या खीर पुड़ी खिलाने की घोषणा की एवं सप्ताह के हरेक स्कूल दिवस में अलग–अलग, स्वादिष्ट खाना खिलाया जाना सुनिश्चित किया।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 6 जनवरी 2004 को ली गई बैठक के अनुसार सभी जिला कलेक्टरों को सचिव मध्यप्रदेश शासन द्वारा आदेश जारी किये गये– जिसके अनुसार

क	सब्जी–रोटी		दाल–रोटी
	10 स्कूल दिवस		10 स्कूल दिवस
	विवरण	खर्च की दर	खर्च की दर
1	आटा पिसाई	10 रूपये	10 रूपये
2	सब्जी 6 किलो	30 रूपये	50 रूपये (दाल 2 किलो)
3	तेल 300 ग्राम	15 रूपये	5 रूपये
4	नमक, मिर्च, मसाले	20 रूपये	15 रूपये
5	ईंधन	10 रूपये	10 रूपये
6	पारिश्रमिक (2 व्यक्ति)	40 रूपये	40 रूपये
	योग	125 रूपये	130 रूपये

तालिका क. 1

1. परिवर्तित व्यवस्था 15 जनवरी 2004 से जिले के एक ग्राम में प्रारंभ की जाय। जिले में सर्वाधिक पिछड़े विकासखंड में 1 फरवरी 2004 से प्रारंभ की जावे।
2. जिले के सभी आदिवासी विकासखंड क्षेत्रांतर्गत प्राथमिक शालाओं में यह व्यवस्था 1 फरवरी 2001 से संचालित होगी।
3. नगरीय क्षेत्र के आदिवासी उपयोजना के 58 नगरीय निकायों की सर्वाधिक गरीब हरिजन बस्ती के एक स्कूल में 15 जनवरी 2004 से तथा इन निकायों की समस्त शालाओं में यह कार्यक्रम 1 फरवरी से संचालित की जाये।
4. प्रस्तावित व्यवस्था में रसोइये के पारिश्रमिक पर होने वाले व्यय को कम करने के लिए ग्राम में संचालित आंगनवाड़ी सहायिका/प्रेरक तथा ग्राम स्तर के अन्य कार्यकर्ताओं से भोजन पकाने का कार्य लिया जावे। जिसके लिए संबधित को अतिरिक्त न्यूनतम राशि का भुगतान किया जावे।
5. शेष विकासखंड तथा ग्रामों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वर्तमान व्यवस्था को आगामी आदेश तक निरतंर रखा जाये।

दिये गये आदेश में गैर आदिवासी इलाकों में रूचिपूणं भोजन का मेनू तथा निर्धारित मात्रा व दर तालिका क. 1 व 2 में बताई गई है–

क	चांवल–दाल	तालिका क. 2	सब्जी, चांवल–दाल
	10 स्कूल दिवस		10 स्कूल दिवस
	विवरण	खर्च की दर	खर्च की दर
1	दाल 2.50 किलो	68 रूपये	25 रूपये (दाल 1 किलो)
2	तेल 200 ग्राम	10 रूपये	5 रूपये
3	नमक, मिर्च, मसाले	15 रूपये	15 रूपये
4	ईंधन	10 रूपये	10 रूपये
5	पारिश्रमिक (1 व्यक्ति)	20 रूपये	40 रूपये
6			20 रूपये(4 किलो सब्जी)
	योग	123 रूपये	105 रूपये

वर्ष 2007–08 में मध्यप्रदेश

- प्रति व्यक्ति सालाना आमदनी कम (4166 रूपये)
- प्रति व्यक्ति मासिक भोजन व्यय कम(287 रूपये)
- प्रति व्यक्ति मासिक अनाज खपत कम (13.5 किलो रूपये)
- भोजन सुरक्षा में आदिवासी जनसंख्या की स्थिति सबसे दयनीय
- लगभग 50.9 प्रतिशत बच्चे कुपोषित एवं 1.37 प्रतिशत बच्चे गंभीर कुपोषित
- लगभग 60–70 प्रतिशत आदिवासी बच्चों को उचित कैलोरी नही मिलती
- लगभग 74.1 प्रतिशत आदिवासी बच्चों का वजन कम है एवं 73.04 प्रतिशत बच्चों पर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता
- लगभग 54.03 प्रतिशत महिलांए एनीमिया का शिकार है
- लगभग 75 प्रतिशत बच्चे एनीमिया का शिकार है

स्त्रोत–मध्यप्रदेश साकार की वार्षिक योजना 2007–08 से जिये गये आंकड़े

मध्यप्रदेश में 20 प्रतिशत आबादी आदिवासी समुदाय की है। उपरोक्त तालिका में बताये सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आदिवासी समुदाय की भोजन सुरक्षा की स्थिति अत्यंत दयनीय हैं। वर्ष 2005–06 में मध्यप्रदेश में जहां बच्चों को कुपोषण से बचाना एक चुनौती थी वहीं शाला से बाहर लाखों बच्चों को स्कूलों में लाना दूसरी चुनौती थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 2001 में जारी अंतरिम आदेश के दबाव और कुपोषण के शिकार 51 फीसदी बच्चों का पोषण स्तर सुधारने के दृष्टिकोण से मध्यप्रदेश सरकार ने मध्यान्ह भोजन योजना के तहत रूचिकर भोजन दिये जाने का फैसला किया। इस फैसले को पूरे देश में सराहा गया क्योंकि सरकारी व निजि मिलाकर 146831 स्कूल वाले बड़े प्रदेश में सरकारी एवं सरकारी सहायता से संचालित निजि स्कूलो (118633) में प्रतिदिन सभी बच्चों को भोजन पकाकर खिलाना निश्चित ही एक चुनौतिपूर्ण कार्य था।

श्रेणी	स्तर	बच्चों की संख्या
शाला त्यागी	प्रायमरी	**51355**
	मिडिल	**68429**
शाला अप्रवेशी	5–11 आयु	**129757**
	11–14 आयु	**47438**
स्त्रोत–आई. पी. एम. एस. 2006–07		

वर्ष 2005–06 के सत्रारंभ में शाला से बाहर बच्चों की तादाद अपने आप में प्रदेश में बालश्रम की कथा कह रही थी और मध्यप्रदेश को राष्ट्र स्तर पर आलोचना का शिकार होना पड़ रहा था। इस समय सरकार द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना में रूचिकर भोजन की पहल से खासी मदद मिली।

स्कूल आने के 2–3 घंटे के बाद कुछ बच्चे भूख महसूस करते हैं एवं उसे बच्चों का मन सीखने की प्रक्रिया पर केंद्रित नही रह पाता और वे पढ़ाई में पिछड़ने लगते हैं एवं कुछ समय बाद स्कूल आना बंद कर देते हैं। स्कूल छोड़ने वाले बच्चों में ऐसे बच्चों का बड़ा हिस्सा होता है। जैसा कि

आयु समूह	शाला से बाहर बच्चे **2005-06**			शाला से बाहर बच्चे **2006-07**		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
5-14 आयु	**233438**	**238804**	**472242**	**148894**	**148085**	**296979**
स्त्रोत–आई. पी. एम. एस. 2006–07						

सरकारी आंकड़े बताते है कि 60–70 प्रतिशत आदिवासी बच्चों को पर्याप्त कैलोरी नही मिलती। जाहिर है कि बच्चों को भरपेट भोजन एवं पोषणयुक्त भोजन नही मिलता है। ऐसे तमाम आदिवासी एवं गैरआदिवासी बच्चों के लिए, दोपहर का रूचिकर भोजन योजना संचालित करना एक उल्लेखनीय पहल मानते हुए इस योजना का संचालन नये स्वरूप में किया गया।

वर्ष 2005–06 में पहचाने गये शाला से बाहर बच्चों की स्थिति का गहन विश्लेषण करने पर यही बात उभरती है कि वे ऐसे बच्चे हैं जिनके परिवार में दो वक्त की रोटी का ठीक से इंतजाम नही है एवं पालकों द्वारा बच्चों के कंधों पर अपनी रोटी के इंतजाम की जिम्मेवारी डाल दी गई है। ऐसे बच्चों का स्कूल पढ़ना संभव नही हो सकता। ऐसी परिस्थिति में मध्यान्ह भोजन योजना निश्चित रूप से बच्चों के पक्ष में दिखाई देती है। क्योकि यह योजना कठिन परिस्थिति में जीने वाले बच्चों को बालश्रम की चपेट से बचाकर उनको शिक्षा के अधिकार से जोड़ती हैं। स्कूल में टिफिन लेकर नही आ सकने वाले बच्चों का स्कूल के प्रति आकर्षण बढ़ाती है। वर्ष 2006–07 में शाला अप्रवेशी बच्चों की संख्या में आई गिरावट (296979) इस बात का सूचक है कि स्कूलों में पके भोजन की शुरूआत करने से पालकों ने बच्चों को स्कूल भेजने में रूचि लेना शुरू किया है।

शाला	नमांकन	हितग्राही
सरकारी,स्थानीय निकाय,एवं सरकारी सहायता प्राप्त शाला	7484870	6387389
ईजीएस शाला	1355199	1160234
वैकल्पिक शाला	74665	63749
योग	8914634	7611372
स्त्रोत–आई. पी. एम. एस. 2006–07		

हालांकि यह भी सच्चाई है कि इस योजना की व्यापकता एवं आकर्षण बढ़ने के साथ–साथ अव्यवस्था या कुशासन भी बढ़ता दिखने लगा क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेवारी स्कूल के शिक्षक एवं पालक शिक्षक संघ के कंधों पर डाली गई। एक तो मध्यप्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी है वहीं गुरूजियों के कंधों पर मुनिमगिरी का काम आ गया। आये दिन शिक्षक एमडीएम के लिए बैंक से पैसा लाने या फिर सब्जियां खरीदने में व्यस्त हाने लगे। पालक शिक्षक संघ इस जिम्मेवारी में हिस्सेदार बनाये गये किंतु अभिमुखीकरण एवं मान–सम्मान में कमी के कारण उनमें रूचि पैदा नही हो पायी। एमडीएम में शिक्षक की सघन भागीदारी के कारण एकल शिक्षकीय शालांए या तो बच्चों के भरोसे चलती नजर आयी या फिर बंद दिखाई दी। ऐसी दशा में एमडीएम से भोजन के अधिकार का संरक्षण होता हुआ दिखाई देता है किंतु शिक्षा के अधिकार की पूर्ति आधी–अधूरी दिखाई देती है। भूखे रहने वाले बच्चों की शाला में वापसी या दाखिला जरूर दिखाई देती है किंतु शाला में बच्चों का ठहराव कितने समय तक रहेगा यह कहना अंत्यत कठिन।

क्रमांक	स्कूल सुविधा	संख्या
1	शासकीय प्राथमिक स्कूल	81550
2	सहायता प्राप्त निजी प्रायमरी स्कूल	933
3	बिना सहायता प्राप्त निजी प्रायमरी स्कूल	15862
4	शासकीय मिडिल स्कूल	24765
5	सहायता प्राप्त निजी मिडिल स्कूल	394
6	बिना सहायता प्राप्त निजी मिडिल स्कूल	11936
7	आश्रम स्कूल (प्रारंभिक शिक्षा स्तर)	908
8	वैकल्पिक स्कूल(मदरसा, ब्रिज कोर्स, संस्कृत स्कूल, मानव विकास केद्र, ट्रांजिसनल शिक्षा केद्र)	10083
	समस्त	146831

सरकार के पास शिक्षकों से गैर शैक्षकीय कार्य कराये जाने की शिकायतों का अंबार लगने लगा एवं अधोसंरचना के अभाव में और भी कई समस्यांए उभरने लगी।

फरवरी 2006 से दोपहर में रूचिकर भोजन आदिवासी कल्याण विभाग आदिवासी कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा इस योजनांतर्गत 89 आदिवासी विकासखण्डो की प्राथमिक शालाओ मे अध्ययनरथ ऐसे छात्र छात्राओं को फरवरी 2006 से दोपहर में रूचिकर भोजन (रोटी, दाल, चावल,सब्जी) उपलब्ध कराई जाती है जो नियमित पाठशाला आते है। योजनांतर्गत वर्ष 2005–2006 मे 36.71 करोड़ रूपये की राशि व्यय की जाकर 16.97 लाख विद्यार्थी को लाभान्वित किया गया है।

- भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे।
- स्कूल में पीने के पानी की कमी के कारण बच्चे भोजन के बाद पानी पीने घर चले जाते एवं फिर स्कूल नही लौटते।
- आंवटित सरकारी राशि कम रहने के कारण रसोईये काम करने से कतराने लगे एवं भोजन की गुणवत्ता व मात्राा घटने लगी क्योंकि पूरी मजदूरी निकालने या इंधन के लिए रूपये जुटाने के लिए अनाज का इस्तेमाल किया जाने लगा।
- रजिस्टर पर खाद्यान्न की पूरी मात्रा दर्शायी जाती जबकि बच्चों को भोजन कम दिया जाता।
- दूसरे प्रकार का समायोजन होने लगा बच्चों की हाजरी में। अधिक हाजरी लगाकर अनाज बचाकर मजदूरी भुगतान किया जाने लगा।

वर्ष 2006 में एमडीएम प्रबंधन की जिम्मेवारी महिला स्वसहायता समूहों को दिये जाने का फैसला हुआ एवं 6000 से अधिक स्वसहायता समुह इस काम में जोड़े गये। निश्चित ही शिक्षकों को राहत मिली एवं भोजन की गुणवत्ता भी सुधरी। किंतु प्ये प्रकार की समस्यांए उभरने लगी।

- स्वसहायता समुहों का वित्तपोषण एसजीएसवाई, समविकास या एमपीआरएलपी जैसी योजनाओं से किया जाता है जहां से समूहों को समय से मदद लेने एवं एमडीएम के भुगतान की राशि पाने में भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है।
- स्वसहायता समूहों की सक्षमता कम है एवं उनकी निर्भरता शिक्षकों पर रहती है।
- रूचिपूर्ण भोजन की लागत बढ़ी जा रही है किंतु मजदूरी भुगतान पुरानी दरों पर ही होता है।
- दलित महिलाओं द्वारा पकाया खाना गैर दलित बच्चे नही खाते एवं दलित समुहों द्वारा तैयार भेजन में अनेकों मनगढंत कमियां बताकर रसोइया बदलने का प्रयास किया जाता है। प्रशासनिक चुस्ती के अभाव में सामाजिक साम्यता की निगहवानी नही होती एवं भेदभाव को कम करने में सफलता कम मिल रही है।

सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, ईजीस एवं वैकल्पिक शालांओं में मध्याह्न भोजन हितग्राही 2006–07			
राज्य	स्कूलों में नामांकन	मध्यान्ह भोजन हितग्राही संख्या	मध्यान्ह भोजन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का प्रतिशत
मध्यप्रदेश	8914634	7611372	85.4
मानव संसाधन विकास मंत्रालय को राज्य द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्ययोजना 2007–08 के आंकड़े			

वित्तिय वर्ष 2008–09 में राज्यों को अनुमत, केंद्र सरकार की अनाज सहायता 17 जून 2008 के अनुसार										
प्रायमरी					मिडिल			कुल		
राज्य	स्कूल कार्य दिवस	लाभान्वित किये जाने योग्य छात्र संख्या	अनाज मीट्रीक टन	मूल्य (लाख रू)	लाभान्वित किये जाने योग्य छात्र संख्या	अनाज मीट्रीक टन	मूल्य (लाख रू)	लाभान्वित किये जाने योग्य छात्र संख्या	अनाज मीट्रीक टन	मूल्य (लाख रू)
35 राज्यों को अनुमत सहायता	220 औसत	82390087	1747922.2	96135.57	35042987	1112504.3	61187.6	117433074	2860426	157323
मध्यप्रदेश को अनुमत सहायता	219 औसत	6702631	146787.6	8073.31	2107977	69247.04	3808.6	8810608	216034.7	11882
भारत सरकार की वेबसार्दट से 5 अप्रैल 2009 को लिये गये आंकड़े										

मध्यान्ह भोजन योजना अंर्तगत केंद्र द्वारा राज्य को, वित्तिय वर्ष 2008–09 में जारी सहायता 12 मार्च 2009 के अनुसार राशि लाख रूपये में												
राज्य	भारतीय खाद्य निगम को अनाज हेतु भुगतान	भोजन पकाने हेतु राशि			परिवहन व्यय	मानिटरिंग प्रबंधन एवं मूल्यांकन	कुल आवर्ती खर्च	किचन शेड		किचन उपकरण, बर्तन इत्यादि		कुल व्यय
	राशि (लाख रू)	प्रायमरी	मिडिल	कुल	राशि (लाख रू)	राशि (लाख रू)	राशि (लाख रू)	ईकाई	राशि (लाख रू)	ईकाई	राशि (लाख रू)	राशि (लाख रू)
35 राज्यों को जारी कुल सहायता	124983.06	180777.15	104729.46	285506.61	17313.53	6402.93	309223.07	289506	169145.86	85661	6060.6	609412.59
मध्यप्रदेश को जारी कुल सहायता	9811.05	20845.38	8411.94	29257.32	1816.66	630.74	31704.72	29268	17560.8	5869	293.45	59370.02
भारत सरकार की वेबसार्दट से 5 अप्रैल 2009 को लिये गये आंकड़े												

हितग्राही संख्या नामांकन से कम रहने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्ययोजना में लिखे गये कारण–

- बच्चे भोजन खाने से मना करते हैं/पालकों द्वारा मध्यान्ह भोजन खाने के लिए रोका जाता है।

आंकड़ों में उलझाव

मजेदार स्थिति है कि केंद्र सरकार द्वारा वेबसाईट पर जारी मध्यान्ह भोजन संबंधित आंकड़ें में बताया है कि सामान्य श्रेणी के राज्यों को प्रायमरी एवं मिडिल स्कूलों को जारी कुल सहायता राशि 271615.09 लाख रूपये दर्शायी गई है जबकि प्रायमरी को जारी वास्तविक राशि 164375.52 एवं मिडिल को जारी राशि 92239.57 लाख रूपये मिलाकर केवल 256615.09 लाख रूपये भेजे गये हैं। सरकार द्वारा किये गये योग में 15000 लाख रूपये का अंतर है। इसे मानवीय त्रृटि माना नही जा सकता क्योंकि वेबसाईट पर कम्प्यूटर जनित आंकडे उपयोग किये जाते है।

खाद्यान्न का उपयोग

राज्यों द्वारा अनुमानित एवं प्रस्तुत नामांकन व औसत उपस्थिति के आंकड़ों के आधार पर केद्र द्वारा खाद्यान्न आंवटन किया गया किंतु वर्ष 2005–06 में राष्ट्र स्तर पर राज्यों द्वारा उठाये गये खाद्यान्न का प्रतिशत महज 76.8 प्रतिशत है जों दर्शाता है कि बच्चों को मध्यान्ह भोजन की प्रावधानित मात्रा से कम भोजन दिया गया या फिर सभी स्कूल दिवस में मध्यान्ह भोजन नही दिया गया।

मध्यान्ह भोजन योजना में खाद्यान्न आंवटन एवं राज्यों द्वारा उठाव वर्ष 2005–06							
राज्य	चांवल मात्रा हजार टन में		गेंहु मात्रा हजार टन में		समस्त (चांवल व गेहूं) मात्रा हजार टन में		प्रतिशत
	आंवटन	उठाव	आंवटन	उठाव	आंवटन	उठाव	
भारत	1777.88	1364.38	472.45	363.28	2250.33	1727.66	76.8
मध्यप्रदेश	46.46	37.66	144.62	125.24	191.08	162.9	85.3
उपभोक्ता मामले, भोजन एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार							

मध्यप्रदेश की स्थिति भारत के मुकाबले बेहतर कही जा सकती है। क्योंकि खाद्यान्न उठाव का प्रतिशत 85.3 है। प्रदेश में हितग्राही प्रतिशत एवं उठाये गये खाद्यान्न का प्रतिशत लगभग समान है।

राज्य द्वारा उठाये गये 162.9 हजार टन प्रति बच्चा 100 ग्राम प्रतिदिन खाद्यान्न की दर से 220 स्कूल दिवस में बच्चों को दी जाने वाली मात्रा के आधार पर हितग्राहियों की संख्या 74.05 लाख बैठती है जबकि मध्यप्रदेश में हितग्राही संख्या 76.11 लाख बताई गई है। लगभग 2 लाख से अधिक डाईट का अंतर प्रदर्शित हो रहा है। बताये गये सभी हितग्राहियों की उपस्थिति नियमित नही होती है। किंतु भारत सरकार को राज्यों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्ययोजना 2006–07 में बताया गया बच्चों का औसत उपस्थिति प्रतिशत 80 मान्य करते हुए गणना करने पर स्पष्ट होता है कि लगभग 71.34 लाख बच्चों को वर्ष में 220 दिन मध्यान्ह भोजन दिया गया होगा। लेकिन खाद्यान्न उठाव एवं ,खपत के आधार पर 162.9 हजार टन खाद्यान्न में 74.05 लाख बच्चों को भोजन कराया जा सकता था। आका मतलग यह हआ कि 71.34 लाख बच्चों को 100 ग्राम प्रतिदिन के बजाय 103 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से भोजन दिया होगा। यह भी मुमकिन नही लगता।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अंबाह, मुरैना क्षेत्र में स्कूलों के आकस्मिक निरीक्षण–रिपोर्ट अनुसार ग्वालियर टाइम्स, 22 मार्च 2007 में प्रकाशित						
स्कूल	दर्ज बच्चे	निरीक्षण के समय बच्चों की उपस्थिति		पूर्व के दिनों में मध्यान्ह भोजन पंजी में दर्ज उपस्थिति		निरीक्षण व मध्यान्ह भोजन पंजी में उपस्थिति का अंतर
	संख्या	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
शास. मा. विद्यालय दोहरा	247	47	19.03	150-160	60.72	41.70
शास. मा. विद्यालय जग्गा का पुरा	216	19	8.79	-	-	-
शास. प्राथ. विद्यालय कन्या, जग्गा का पुरा	97	21	21.65	40	41.23	19.58
शिक्षा गारंटी शाला, मोर सिलावनी	72	02	2.77	पूर्व के महिनों में औसत 45 फीसदी	45.00	42.22
शास. प्राथ. विद्यालय, कल्लू का पुरा	44	16	36.36	40	90.90	54.54
शास. प्राथ. विद्यालय, कन्या कमतरी	52	18	34.62	45	86.53	51.92
शास. प्राथ. विद्यालय, मल्लू का पुरा	85	09	10.59	60-65	70.58	60.00

उपरोक्त तालिका के आधार पर राज्य द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्ययोजना में उल्लेखित औसत उपस्थिति के आंकड़ों पर विश्वास नही किया जा सकता और न ही बच्चों को 100 ग्राम के स्थान पर 103 ग्राम भोजन दिया जाना।

मानक खर्चों में भिन्नता

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005–06 में मध्यान्ह भोजन योजना पर अध्ययन में दिए गये आंकड़ों के मुताबिक सरकार द्वारा उठाया गया खाद्यान्न अनुमत मात्रा का 85.3 फीसद है जबकि भोजन पकाने के लिए दी गई राशि की का व्यय 90 प्रतिशत है। दोनों समानुपातिक नही है। मानकों पर अमल करने पर दोनों का प्रतिशत समान आना चाहिए। देखा जाय तो इसे कुकिंग कॉस्ट का दुरूपयोग भी कहा जा सकता है।

जमीनी अनुभवों से मध्यान्ह भोजन योजना से जहां आरंभिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण में लाभ होता नजर आता है वहीं दूसरी ओर इस योजना के कारण शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट के लिए पूरा वातावरण तैयार नजर आने लगता है, क्योंकि तालिका के आंकड़े एक कहानी बता रहे हैं एवं संभावना की पुष्टि भी कर रहे हैं।

कहा जा सकता हैं कि मध्यान्ह भोजन भारत जैसे गरीब देश एवं मध्यप्रदेश के स्कूलों के लिए आवश्यक अंग है। जो बच्चों को स्कूल से दूर होने से बचा रही है। बालश्रम से बचा रही है एवं किसी हद तक कुपोषण से भी बचा रही है। जिससे कुपोषण प्रभावित आदिवासी व दलित बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की क्षमतांए विकसित होने की संभावना बढ़ रही है।

मध्यान्ह भोजन योजना के फायदे एवं नुकसान

मोनू हिता कि दोस्तों के साथ बैठकर खाना खाने में आनंद आता है इसलिए स्कूल जाते हैं, सुनिता कहती है कि उसके पिता सारा खाना बांधकर मजदूरी करने चले जाते है एवं उसके लिए घर में खाना नही बचता था, उसकों दिन भर भूखों रहना पड़ता था किंतु अब उसकों चिंता नही होती है क्योंकि स्कूल में दाल–रोटी रोज मिलती है। इसीलिये अब वह रोज स्कूल जाती है। ये अनुभव बच्चों के हैं जो मध्यान्ह भोजन योजना की आवश्यकता व प्रासंगिकता को उजागर एवं पुष्ट करते है।

किंतु प्रक्रियागत अनेक कमियों व व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण योजना का अपेक्षित लाभ बच्चों को नही मिलता है–

- योजना की सफलता प्रदर्शन के दबाव में बच्चों की वास्तविक उपस्थिति दर्ज नही की जाती जिससे कारण केंद्र व राज्य द्वारा व्यय की जाने वाली राशि का अपव्यय बढ़ रहा है।
- एकल शिक्षकीय शालाओं में शिक्षकों का अधिक समय मध्यान्ह भोजन प्रबंध पर लगने के कारण बच्चों की पढ़ाई का नुकसान बढ़ा है।
- भेदभाव संवेदनशील इलाकों में दलित बच्चे शाला जाने से कतराने लगे हैं क्योंकि मध्यान्ह भोजन में मुखर भेदभाव होता है।
- भोजन पकाने वाले मजदूर को 25 पैसे प्रति बच्चा प्रतिदिन भुगतान का नियम, मजदूर के शोषण का प्रमाणीकरण करता है क्योंकि 25 नामांकन वाली शाला में मजदूर को केवल 12 रूपये 50 पैसे भुगतान होगा जो 3 घंटे की मजदूरी के लिए न्याय संगत नही है। यदि किसी शाला में नामांकन संख्या 100 भी हो जाय तो पकाने वाले मजदूर को 25 रूपये मिलेगे जो मजदूर द्वारा खर्च किये गये समय के अनुपात में बिल्कुल न्याय संगत नही है। इसी प्रकार खाना पकाने के लिए लकड़ी का खर्च 20 पैसे प्रति बच्चा वास्तविक व्यय से काफी कम है। दरों में परिवर्तन नही होने पर खाद्यान्न बेचकर मजदूरी के नुकसान की भरपाई की जाती है क्योंकि मजदूर समझौता नही कर सकता वह गरीब है उसे पूरी मजदूरी देनी ही होगी ओर बच्चों को निर्धारित दर से कम मात्रा में भोजन कराया जावेगा।

क्या–2 मुश्किलें हैं मध्यान्ह भोजन में

स्वच्छ पेयजल का इंतजाम नही

आज भी प्रदेश के 12 प्रतिशत स्कूलों में (14235 स्कूलों में) पीने के पानी का इंतजाम नही है। शुद्ध पेयजल पिलाने व बर्तनों की सफाई का दावा किया जाता रहा है, शायद इसी कमी के कारण कई स्कूलों से पिने के पानी एवं विषाक्त खाना खाने बच्चों के बीमार होने की खबर खिलाये जाने की घटना घटती है।

आधे से अधिक स्कूलों में रसोई घर का इंतजाम नही

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आज भी 56 प्रतिशत स्कूलों में (66434स्कूल) में रसोई घर नही बने हैं एवं आये दिन खाने के विषाक्त होने और विभिन्न दुर्घटनाएं होती रहती है। (जैसे बालाघाट में 6 वर्षीय बालिका उबलते पानी की कड़ाही में गिरकर मर गई–वर्ष 2005)

भेदभाव हटाने के लिए औपचारिक कार्यवाही

जिला होशंगाबाद के सोहागपुर तहसील में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एंव प्रशासकीय दबाव में दलित महिला को मध्यान्ह भोजन पकाने की जिम्मेवारी सौंपी गई कितु गैर दलित समुदाय ने उस महिला द्वारा पकाया खाना अपने बच्चों को नही खाने दिया एवं लगातार खाने की गुणवत्ता पर झूठे सवाल खड़े कर उसका काम छुड़वा दिया और गैरदलित समुदाय की महिला को जिम्मेवारी सौंप दी। उल्लेखनीय है कि दलित महिला को 3 माह की मजदूरी का भुगतान भी नही दिया गया। अब गैर दलित महिला द्वारा खाना बनाने के बाद दलित बच्चों को मध्यान्ह भोजन में भारी भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

प्रशासनिक अधिकारियों के दलितों के प्रति असंवेदनशीलता के कारण न ही दलित बच्चों के साथ भेदभाव कम होता है और न ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का क्रियान्वयन।
इस प्रकरण से स्पष्ट होता है कि मध्यान्ह भोजन के अहम! लक्ष्यों में महत्वपूर्ण लक्ष्य दूर की कौड़ी है। योजना का लाभ सभी बच्चों को नही मिल सकता, अभिवंचित समुदाय प्रतिष्ठापूर्ण रीति से योजना का लाभ लेने के बजाय सामाजिक बहिष्करण का शिकार होता है।

स्कूल में नामांकन, उपस्थिति एवं सीख स्तर बढ़ाने में योजना का योगदान

सिवनी जिले के आदिवासी बाहुल्य विकासखंड कुरई के एक गांव दरगड़ा में 6–14 आयु समूह का कोर्द बच्चा स्कूल से बाहर नही है। प्रतिदिन औसत उपस्थिति 80–85 प्रतिशत के मध्य होती है। स्कूल के शिक्षक डीआर वर्मा बताते हैं कि जुलाई 2006 के पूर्व शाला के मध्यान्ह भोजन में बहुत सारी समस्यांए थी, उस समय स्कूल में खिचड़ी पकाकर बांटी जाती थी वह भी अनियमित। कारण साफ था स्कूल में एकमात्र शिक्षक 125 बच्चों को पढ़ाता व भोजन का इंतजाम कराता था। खिचड़ी की गुणवत्ता कम होती थी एवं गांव वाले शिक्षक को संदेह की नजरों से देखते थे, उस समय भोजन प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी नगण्य हुआ करती थी। किंतु अगस्त 2006 में स्कूल में 2 शिक्षक हुए एवं कोशिश करने के बाद गांव वालों ने महसूस किया कि यह मध्यान्ह भोजन पाना और स्कूल में अच्छी शिक्षा प्राप्त करना बच्चों का अधिकार है। इस दिशा में उनकी भागीदारी अहमियत रखती है। बस इसी प्रेरणा के बाद गांव वालों ने मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता सुधार पर ध्यान देना शुरू किया एवं आज अनेक विसंगतियों के बावजूद हमारे स्कूल का मध्यान्ह भोजन प्रबंधन तरह हो रहा है।

शिक्षक वर्मा कहते है कि मध्यान्ह भोजन हेतु सब्जी तेल प्रबंधन में एक सप्ताह में बमुश्किल 2 घंटे का समय निकालना होता है एवं 1 दिन खाद्यान्न लाने में। परोसने व खाने के लिए प्रतिदिन केवल 15 मिनट का समय लगता है। शिक्षक व बच्चे साथ–साथ खाना खाते है एवं शिक्षक व बच्चों का दोस्ताना रिश्ता बनता जा रहा है। पालक शिक्षक संघ की अच्छी मदद मिल रही है जिससे शिक्षकों को मध्यान्ह भोजन में अधिक समय नही लगाना पड़ता।

गांव की पंच अतरो बाई कहती है कि सरकार भोजन पकाने में मजदूर का शोषण करती है, उसे एक दिन में न्यूनतम मजदूरी भी नही देती। 100 बच्चों पर 45 रूपया देती है जिसमें 20 रूपये लकड़ी खरीदने में

चले जाते है (जो कम है, इसलिऐ लकड़ी जंगल से बीनना पड़ती है और वन विभाग के लोग चिल्लाते व बेइज्जजी करते है।)। 100 बच्चों का खाना बनाने व बर्तन साफ करने में लगभग 4 घंटे खपते हैं और उसके बदले मिलते है 25 रूनये। ऐसी स्थिति में गांव वालों कों चंदा करके मजदूरी देना पड़ता है।

रसोईयों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नही

मध्यप्रदेश में प्रति बच्चा 45 पैसे भोजन पकाने के लिए दिये जाने का प्रावधान किया गया है जिसमें रसोर्दयों को ईंधन भी खरीदना पड़ता है। सिवनी जिले के आदिवासी बाहुल्य विकासखंड कुरई के एक गांव भोंडकी में रसोईऐ ने मध्यान्ह भोजन पकाने में हो री नुकसान के कारण इस कसत कसे छोड़ दिया था एवं इस रसोईऐ के बजाय कोई और व्यक्ति भी होता तो वह अतनी कम मजदूरी पर काम नही करता। देखा जाय तो इस गांव के स्कूल में कुल 21 बच्चे दर्ज हैं जिनका भोजन तैयार करने के लिए रसोईए को 9 रूपये प्रतिदिन मिलते थे, जिसमें वह 4 रूपये ईंधन पर खर्च कर देता था। स्वाभाविक था उसका काम छोड़ना क्योंकि उसे प्रति बच्चा 25 पैसे अधिक मजदूरी नही मिलती थी। गांव वालों ने रसोईए की व्यथा को समझकर प्रति परिवार 6 रूपये प्रतिमाह इकट्ठा कर रसोईए को मजदूरी भुगतान की राशि 15 रूपये प्रतिदिन दी जा सके और बच्चों को नियमित पका भोजन मिल सके।

> प्रति 100 बच्चों का खाना पकाने की मजदूरी 25 रूपये प्रतिदिन तर्कहीन है। न्यूनतम मजदूरी के नियम का पालन भी नही हो पाता। जबकि 100 बच्चों का भोजन केवल एक मजदूर नही बना पाता, एक के बजाय 2–3 लोग काम करते हैं।

सवाल यही है कि प्रदेश में 25–50 नामांकन वाले स्कूलों की संख्या 24913 (21 प्रतिशत) है जहां प्रावधानित दरों पर भोजन पकाने में मजदूर का शोषण होना है या फिर भोंडकी गांव की तरह प्रति परिवार चंदा उगाकर सरकार की जिम्मेवारी निभाते रहना पड़ेगा। सरकार को चाहिए कि बच्चों की न्यूनतम संख्या मस करके न्यूनतम मजदूरी अवश्य दे एवं गच्चों की सुख्या बढ़ने पर सहायक मजदूर लगाने के लिए अतिरिक्त राशि दे।

स्वसहायता समूहों का प्रशिक्षण व सम्मान नही

6000 से अधिक स्वसहायता समूहों को काम सौंपा गया है। कई स्थानों पर पहले से कियाशील समूहों को काम सौंपा गया किंतु कई स्थानों पर पालक शिक्षक संघ के बजाय सरपंच ने रातोंरात समूह बनाकर जनपदों को सूची उपलब्ध कराई। इसके कारण स्वसहायता समूहों के काम पर आये दिन सवालिया निशान लगते है। समूहों को प्रशिक्षण न दिये जाने से वे पैसों का प्रबंधन एवं आवश्यक अनुवर्तन नही कर पाते। अपने अधिकारों का इस्तेमाल नही कर पाते। मध्यप्रदेश रूरल साफ्ट पर दर्ज शिकायत के निराकरण से जाहिर होता है कि स्वसहायता समूह के सदस्यों की बदली जिला या जनपद के अधिकारी कर लेते हैं, समूह के अपने निर्णय के बारे में नही सोचा जाता। 9 जनवरी 2009 को दैनिक भास्कर में ठनी चाकर के आणार पर स्वसहायता समूह के सदस्यों को हटाने की कार्यवाही की गई एवं बताया जाता है कि अब मध्यान्ह भोजन व्यवस्था अच्छी हो गई।

कार्यक्रम/योजना में चुनौतियां

- भोजन पकाने में आवश्यक राशि का पर्याप्त इंतजाम नही होने से भोजन की गुणवत्ता अपेक्षित स्तर की नही मिलती जिससे पोषाहार दिये जाने का लक्ष्य पूरा नही होता, अपव्यय होता है।
- भोजन पकाने वाले का शोषण होता है या अनाज बेचकर भरपाई की जाती है।

- पंचायतों की संवेदनशीलता कम होने के कारण भोजन निर्माण में कमी पढ़ने वाली राशि का दबाव अंततः गरीब पालकों पर आता है।
- निगरानी व्यवस्था की कमजोर रहने के कारण स्कूल की हाजिरी बढ़ाकर भरी जाती है जिससे पैंसे एवं बच्चों की असल स्थिति कभी मालूम नही पड़ती।
- सशक्त स्वसहायता समूहों की पहचान में पारदर्शिता नही रखी गई एवं वित्त पोषण करले वाले विभाग समूहों पर हावी नजर आते है। समय से मदद न देना, हिसाब किताब में हस्तक्षेप करना आम घटनांए हैं।
- भोजन की गुणवत्ता एवं मेनू अनुसार भोजन का वितरण आज भी सुनिश्चित नही हुआ है। महगाई के कारण प्रावधानित दरों पर भोजन पकाने में रसोइए को परेशानी आती है एवं सस्ते दाम की सामग्री उपयोग की जाती है।
- रसोईए की बढ़ती समस्याओं के अनुभवों से सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में नांदी फाउडेशन जैसी प्राईवेट संस्थाओं को भोजन प्रदाय करने के ठेके दे रखे है जिससे दलित छूआछूत को कम करने एवं सामाजिक साम्यता बढ़ाने का लक्ष्य पीछे छूट रहा है एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना भी हो रही है। हो सकता है सरकार भविष्य में ग्रामीण इलाकों में पका भोजन प्रदाय करने का काम प्राइवेट संस्थाओं को सौंप दे।
- बच्चों की वास्तविक उपस्थिति पता करना बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इससे सरकारी धन में सेंध लग रही है।
- शिक्षा व पोषण के अधिकार एवं सामाजिक साम्यता को सुनिश्चित करने में योजना पर्याप्त सक्षम है किंतु मानिटरिंग की लचर प्रणाली के कारण लक्ष्यों को हासिल करना आसान नही है।